



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी.नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

No. SB/MKT/CAL/NSWS/03/2026-2029/1473

Date: 15.07.2026

NOTICE

Sub: Invitation of Applications for Grant and Renewal of Cardamom Auctioneer Licences through the National Single Window System (NSWS) for the Block Period 2026–2029 – reg.

The Spices Board invites applications for the grant and renewal of Auctioneer Licences for conducting auctions of Indian Cardamom (Small and Large) for the block period from **1st September 2026 to 31st August 2029**, in accordance with the provisions of the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987 and guidelines issued by the Board from time to time.

Applications shall be submitted through the National Single Window System (NSWS) portal within the prescribed timelines.

Definition for Cardamom auction: Auction means a system of conducting sale of cardamom through the platform provided and approved by the Spices Board and includes manual auction, e-auction, and online auction.

Definition for Cardamom auctioneer: Auctioneer means a person engaged in the business of conducting cardamom auctions.

General Conditions:

1. The last date for submission of applications shall be **30 (thirty) days** from the date of publication of this notice by **14.08.2026**. Once the procedure for allotting the e-auctioneer licence is completed for the block period (2026-29), and the auction slots are allotted, no fresh applications may be considered for the said block period, except in cases where vacancies arise or as decided by the Board in public interest.

2. All stakeholders intending to obtain a “Cardamom Auctioneer Licence” are requested to submit their applications online through the National Single Window System (NSWS) portal. The NSWS portal is expected to be active in a week time. Accordingly, required documents shall be kept ready in advance towards seamless submission of application.

Please refer the following link:

E-auctioneer License: <https://www.nsws.gov.in/portal/approval-details/ministry-of-commerce-and-industry/department-of-commerce/spices-board-cardamom-auctioneer-license-e-auctioneer>

Manual Auctioneer License: <https://www.nsws.gov.in/portal/approval-details/ministry-of-commerce-and-industry/department-of-commerce/spices-board-cardamom-auctioneer-license-manual-auctioneer>

Before proceeding to file online application for Cardamom Auctioneer Licence, all are advised to read the user manual for registration in NSWS for which it may be referred to at the following link:

<https://www.nsws.gov.in/portal/user-guide> .

3. **Mandatory requirements:** User manual of filing application for Cardamom Auctioneer Licence (**Annex I**) ; guidelines for auctioneer licence (**Annex II**), terms and conditions of Auctioneer licence (**Annex III**), Documents to be uploaded online (**Annex IV**), Declaration And Undertaking By Applicant For Grant/Renewal of Auctioneer Licence (**Annex V**) issued in the Board's portal <https://www.indianspices.com/marketing/auctioneer.html>

4. The application fee shall be made through the Payment Gateway of NSWS. The applicable transaction bank charges will be extra and shall be borne by the applicant.

5. The Submission of application does not confer any right to grant of licence. Licence will be awarded subject to the verification of the application and documents and fulfillment of the criteria fixed for awarding the Licence.

6. If any deficiency or clarification is required, the applicant shall respond within 7 days from the date of query raised in the NSWS portal. Failure to respond within the stipulated time shall result in automatic rejection of the application without further notice. Additional 7 days will be provided only on case to case basis depending on the genuineness of the request made by the applicant.

7. If applications found incomplete, non-submission of required documents and incorrect documents shall be rejected and no correspondence will be entertained in this regard. Failure to furnish complete information as mentioned in the guidelines, documents or submission of a proposal not substantially responsive to the guidelines and required documents in every respect will be at the risk of the applicant and may result in rejection of the application.

8. The Spices Board reserves the right to accept or reject any application based on eligibility, verification, and compliance with the prescribed criteria. The Spices Board may also require submission of additional financial, statutory, operational, or compliance-related documents including bank statements, GST return filing status, banker's conduct certificate, cash flow statements, details of statutory dues, debtor ageing statements, or such other records as may be considered necessary for assessment of the applicant's financial capability and settlement capacity. By applying, each applicant shall be deemed to acknowledge that it has carefully read the Guidelines and annexure thereto, if any, and has fully informed itself as to all existing conditions and limitations. The selection of the applicants will be in accordance with the norms set out in the Guidelines.

9. The decision of the Spices Board regarding the award of the auction licence shall be final and binding subject to applicable rules and principles of natural justice. The Board reserves the right to amend or modify any of the eligibility conditions or reject the applications without assigning any reason or may call fresh application without assigning any reason whatsoever, if it appears appropriate in the public interest.

10. The applicant shall comply with the provisions of Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987 (hereinafter referred to as "CLMR, 1987") and its subsequent amendments.

11. The Spices Board reserves the right to interpret, clarify, or relax any of the provisions of these Guidelines in public interest, for reasons to be recorded in writing.

12. The Terms and Conditions of the Auctioneer Licence contained in Annex III shall form part of license conditions and shall be binding on the license.


DIRECTOR (MKTG)



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी.नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

सं.एसबी/विपणन/सीएल/एनएसडब्ल्यूएस/03/2026-2029/1473

दिनांक :15.07.2026

सूचना

विषय: वर्ष 2026-2029 की ब्लॉक अवधि के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के माध्यम से इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान और नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करना - बाबत।

स्पाइसेस बोर्ड, इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 के प्रावधानों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2029 की अवधि के लिए भारतीय इलायची (छोटी और बड़ी) की नीलामी आयोजित करने हेतु नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान और नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

इलायची की नीलामी की परिभाषा: नीलामी का अर्थ है स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान और अनुमोदित प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलायची की बिक्री आयोजित करने की एक प्रणाली, जिसमें मैनुअल नीलामी, ई-नीलामी और ऑनलाइन नीलामी शामिल है।

इलायची नीलामीकर्ता की परिभाषा: नीलामीकर्ता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इलायची की नीलामी आयोजित करने के व्यवसाय में लगा हुआ है।

सामान्य शर्तें:

1. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से यानी 14.08.2026 से 30 (तीस) दिन है। ब्लॉक अवधि (2026-29) के लिए ई-नीलामीकर्ता लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाने और नीलामी स्लॉट आवंटित हो जाने के बाद, उक्त ब्लॉक अवधि के लिए कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां रक्तियां उत्पन्न हों या बोर्ड द्वारा जनहित में निर्णय लिया गया हो।

2. इलायची नीलामी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करें। एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल एक सप्ताह में सक्रिय होने की उम्मीद है। तदनुसार, आवेदन प्रक्रिया को सुचारु रूप से जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

कृपया निम्नलिखित लिंक देखें:

ई-नीलामी लाइसेंस: <https://www.nsws.gov.in/portal/approval-details/ministry-of-commerce-and-industry/department-of-commerce/spices-board-cardamom-auctioneer-license-e-auctioneer>

मैनुअल नीलामीकर्ता लाइसेंस: <https://www.nsws.gov.in/portal/approval-details/ministry-of-commerce-and-industry/department-of-commerce/spices-board-cardamom-auctioneer-license-manual-auctioneer>

- इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने से पहले, सभी को एनएसडब्ल्यूएस में पंजीकरण के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल पढ़ने की सलाह दी जाती है, जिसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
<https://www.nsws.gov.in/portal/user-guide>।

3. **अनिवार्य अपेक्षाएँ:** इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस के लिए आवेदन दाखिल करने की उपयोगकर्ता पुस्तिका (अनुलग्नक I), नीलामीकर्ता लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश (अनुलग्नक II), नीलामीकर्ता लाइसेंस के निबंधन और शर्तें (अनुलग्नक III), ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ (अनुलग्नक IV), नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान/नवीनीकरण के लिए आवेदक द्वारा घोषणा और वचनबद्धता (अनुलग्नक V) जो बोर्ड के पोर्टल <https://www.indianspices.com/marketing/auctioneer.html> पर जारी की गई हैं।

4. आवेदन शुल्क का भुगतान एनएसडब्ल्यूएस के पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाएगा। लागू लेनदेन बैंक शुल्क अतिरिक्त होंगे और आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे।

5. आवेदन जमा करने से लाइसेंस प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। लाइसेंस आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन और लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन ही प्रदान किया जाएगा।

6. यदि किसी कमी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो आवेदक को NSWS पोर्टल पर प्रश्न उठाने की तिथि से 7 दिनों के भीतर उत्तर देना होगा। निर्धारित समय के भीतर उत्तर न देने पर आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के स्वतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध की प्रामाणिकता के आधार पर, मामले-दर-मामले के आधार पर अतिरिक्त 7 दिन दिए जा सकते हैं।

7. यदि आवेदन अपूर्ण पाए जाते हैं, आवश्यक दस्तावेज़ जमा नहीं किए गए हैं या गलत दस्तावेज़ जमा किए गए हैं, तो आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। दिशा-निर्देशों में उल्लिखित संपूर्ण जानकारी, दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफलता या दिशा-निर्देशों और आवश्यक दस्तावेज़ों के अनुरूप न होने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत करने का जोखिम आवेदक का होगा और इसके परिणामस्वरूप आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

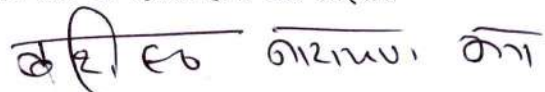
8. स्पाइसेस बोर्ड पात्रता, सत्यापन और निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के आधार पर किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। स्पाइसेस बोर्ड आवेदक की वित्तीय क्षमता और निपटान क्षमता के आकलन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अतिरिक्त वित्तीय, वैधानिक, परिचालन या अनुपालन संबंधी दस्तावेज़, जिनमें बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की स्थिति, बैंक का आचरण प्रमाण पत्र, नकदी प्रवाह विवरण, वैधानिक देय राशियों का विवरण, देनदार आयु विवरण या ऐसे अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं, प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। आवेदन करके, प्रत्येक आवेदक यह स्वीकार करता है कि उसने दिशा-निर्देशों और उनके अनुलग्नकों (यदि कोई हो) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और सभी मौजूदा शर्तों और सीमाओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है। आवेदकों का चयन दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा।

9. नीलामी लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, जो लागू नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन होगा। बोर्ड को पात्रता शर्तों में संशोधन या परिवर्तन करने, बिना कोई कारण बताए आवेदनों को अस्वीकार करने या जनहित में उचित प्रतीत होने पर बिना कोई कारण बताए नए आवेदन आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित है।

10. आवेदक इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 (जिसे आगे "सीएलएमआर, 1987" कहा जाएगा) और इसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

11. स्पाइसेस बोर्ड जनहित में इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या, स्पष्टीकरण या शिथिलीकरण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे।

12. अनुलग्नक - III में निहित नीलामीकर्ता लाइसेंस के निबंधन और शर्तें लाइसेंस की शर्तों का हिस्सा होंगी और लाइसेंस पर बाध्यकारी होंगी।



निदेशक (विपणन)